

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 139/2018

RCMS Case No. 2018/00172

प्रार्थी :-
सरकार जरिये तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थी:-

1. फुआराम पुत्र भोमा जाति सिरवी
2. लच्छाराम पुत्र भोमा जाति सिरवी निवासीगण खिंवाड़ा तहसील रानी
3. खेताराम पुत्र रामा
4. चुन्नीलाल पुत्र रामा जातिगण सिरवी निवासीगण कोलपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

-:: आदेश ::-

दिनांक: 05/08/2019

प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 743 रकबा 1.36 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। ग्राम सिवास की जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 743 की भूमि गत खसरा नम्बर 263 मि. तथा 217 मि. से बने हैं। गत खसरा नम्बर 263 मि. तथा 217 मि. की भूमि नाला के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। आवंटन आदेश क्रमांक/1291 दिनांक 10.06.1966 के अनुसार खसरा नम्बर 217 में से 10 बीघा भूमि कासीम खां पुत्र सुलतान खां कौम मुसलमान को आवंटन की गई। आवंटन की पालना में आवंटी कासीम खां को जरिये नामान्तरकरण संख्या 118 के जरिये गैर खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात कासीम खां फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 20 के उसके उत्तराधिकारी मोजू खां, याकूब खां पि0 कासिम खां जाति मुसलमान को खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात खातेदारान् द्वारा उक्त भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20.11.1997 के अप्रार्थीगण के पक्ष में बेचान किया, जिसके आधार पर अप्रार्थीगण का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 229 के राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया



अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया। चूंकि इस भूमि कि किस्म नाला थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। अतः आवंटन आदेश क्रमांक/1291 दिनांक 10.06.1966 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 118 को अपास्त करावें एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए हस्तान्तरणों के आधार पर दायर नामान्तरकरण संख्या 20 तथा 229 को अपास्त कराते हुए भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 नाला दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी अप्रार्थी की खरीदसुदा भूमि है, जिस पर अप्रार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त हैं। प्रार्थी द्वारा मूल आवंटी को पक्षकार संयोजित नहीं किया है तथा न ही रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल 1956 के खण्ड द्वितीय के अध्याय 2 के नियम 30 की पालना की गई हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस पर मनन, किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 743 रकबा 1.36 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। ग्राम सिवास की जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2018 के अनुसार खसरा नम्बर 217 की भूमि नाला के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। आवंटन आदेश क्रमांक/1291 दिनांक 10.06.1966 के जरिये खसरा नम्बर 217मि. में से 10 बीघा भूमि कासीम खां पुत्र सुलतान खां कौम मुसलमान को आवंटन की गई। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 118 के जरिये आवंटी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 20 के आवंटी के वारिशान का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी के वारिशान मोजू खां, याकूब खां .पि0 कासिम खां द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20.11.1997 के अप्रार्थीगण को बेचान किया, जिस पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 229 के क्रेता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। चूंकि इस भूमि कि किस्म नाला थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। आवंटन आदेश क्रमांक/1291 दिनांक 10.06.1966 द्वारा आवंटी कासिम खां के नाम नाला की भूमि में से 10 बीघा भूमि आवंटन किया, जो कालान्तर में सिलसिलेवार हस्तान्तरित होकर अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म नाला थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0 नाला दर्ज की जानी हैं। अतः आवंटन आदेश क्रमांक/1291 दिनांक 10.06.1966 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 118




3 : राजस्व विविध प्रकरण संख्या 139/2018 सरकार बनाम फुआराम वगैरा

एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए नामान्तरकरण संख्या 20 तथा 229 निरस्त योग्य हैं।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटन आदेश क्रमांक/1291 दिनांक 10.06.1966 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 118 एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए नामान्तरकरण संख्या 20 तथा 229 को अपास्त करते हुए ग्राम सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 743 रकबा 1.36 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 भूमि की किस्म पुनः नाला दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।




(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर, पाली